कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

श्री आर0 के0 खण्डेलवाल,(भा0प्र0से0) आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की अध्यक्षता में दिनांक–22.01.2016 को 4:00 बजे अपराह्न में सम्पन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही –

उपस्थित :–

1. श्री आर0के0खण्डेलवाल, आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।
2. श्री केदार नाथ, संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।
3. श्री बलदेव राम, गैर सरकारी सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्य का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कार्यावली संख्या–1 माह अप्रैल से दिसम्बर, 2015 तक स्टेज कैरेज परमिट हेतु प्राप्त आवेदन जिसका निष्पादन आयुक्त–सह–अध्यक्ष से संचिका में अनुमोदन प्राप्त कर निष्पादित किया गया है। वैसे कुल–350 निष्पादित आवेदनों की संपुष्टि पर विचार।

निर्णय :– दिनांक–20.01.2015 की सम्पन्न प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में माह अप्रैल से दिसम्बर, 2015 के बीच स्टेज कैरेज परमिट हेतु प्राप्त आवेदन जिसे आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षे0 परि0 प्रा0 से संचिका में अनुमोदन प्राप्त कर निष्पादित किया गया है। इस प्रकार स्टेज कैरेज (सवारी बस) परमिट संबंधी निष्पादित कुल–350 आवेदनों की सम्पुष्टि सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

कार्यावली संख्या–2. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा माह दिसम्बर, 2015 तक ऑटो रिक्सा को निर्गत परमिट सं0– 1165 से 1877, टैक्सी/मैक्सी को निर्गत परमिट सं0– 356 से 648, मालवाहक को निर्गत परमिट सं0– 498 से 933 एवं टैक्टर–टेलर को निर्गत परमिट सं0– 108 से 164 के संबंध में प्राधिकार को दिये गये जानकारी की समीक्षा।

निर्णय– सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा माह अगस्त से 31, दिसम्बर, 2015 तक ऑटो रिक्सा को निर्गत परमिट सं0– 1165 से 1877, टैक्सी/मैक्सी को निर्गत परमिट सं0– 356 से 648, मालवाहक को निर्गत परमिट सं0– 498 से 933 एवं टैक्टर–टेलर को निर्गत परमिट सं0– 108 से 164 के संबंध में दिये गये जानकारी को प्राधिकार ने ग्रहण किया। इसके साथ सचिव को इस अवधि में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन का एक आँकड़ा भी प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

कार्यावली संख्या–3 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा द्वारा दरभंगा जिलान्तर्गत अधिसूचित मझौरा बस पड़ाव में वाहनों (सवारी बस) का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु परमिटधारियों को दिनांक–27.06.2015 को निर्गत नोटिस के आलोक में वाहन स्वामियों से प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई करने संबंधी मामलों पर विचार।

निर्णय – क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा द्वारा दरभंगा जिलान्तर्गत अधिसूचित मझौरा बस पड़ाव में वाहनों (बस) का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु परमिटधारियों को दिनांक–2706.2015 को निर्गत नोटिस के आलोक में वाहन स्वामियों से प्राप्त लिखित आपत्तियों की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि आपत्तिकर्त्ताओं द्वारा समर्पित लिखित आपत्ति में उल्लेखित तथ्यों से संबंधित मामलों का निष्पादन दिनांक–31.08.2015 को सम्पन्न प्राधिकार की बैठक की कार्यावली संख्या–6 पर लिये गये निर्णय के तहत कर दिया गया है।

प्राधिकार ने सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को दिनांक–31.08.2015 को सम्पन्न प्राधिकार के बैठक की कार्यावली संख्या–6 पर लिये गये निर्णय का अनुपालन प्रतिवेदन सभी संबंधितों से प्राप्त कर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

कार्यावली संख्या–4 स्टेज कैरेज परमिट हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया निर्धारण संबंधी मामले पर विचार।

सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा वर्त्तमान में स्टेज कैरेज परमिट हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन एवं उसके निष्पादन के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में बैठक में विस्तृत जानकारी दी गई। इस प्रकार प्राधिकार में स्टेज कैरेज परमिट हेतु प्राप्त हाने वाले आवेदन के निष्पादन की वर्तमान प्रक्रिया में आंशिक संसोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई।

विचारोपरांत स्टेज कैरेज परमिट हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया निर्धारण संबंधी मामले पर सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

<u>निर्णय–</u>

- स्टेज कैरेज (सवारी बस) परमिट हेतु प्रत्येक माह में 7 तारिख तक प्राप्त आवेदनों की जॉच निर्धारित चेक लिस्ट से नियमानुसार किया जाऐगा।
- जॉचोपरांत सभी आवश्यक मान्य कागजात सही पाये जाने की स्थिति में आवेदन को आपत्तियॉ आमंत्रित करने की दृष्टिकोण से 14 दिनों के लिए प्रकाशित कराया जाऐगा।
- प्रस्तावित आवेदन एवं समय--सारणी में किसी प्रकार की त्रूटि एवं मान्य कागजातों में कमी पाये जाने की स्थिति में आवेदक को आवेदन में आवश्यक सुधार का एक मौका दिया जाऐगा। इस प्रकार त्रूटिमार्जित आवेदनों का प्रकाशन अगले माह में प्राप्त आवेदन के साथ किया जाऐगा।
- आवेदक जिस वाहन के परमिट हेतु आवेदन समर्पित कर रहे हैं यदि उसी वाहन के परमिट के लिए उनके द्वारा पूर्व में भी इस प्राधिकार में आवेदन समर्पित किये है अर्थात कोई लंबित आवेदन हो तो नये आवेदन के साथ वे इस आशय का शपथ–पत्र समर्पित करेंगे कि वे अपने पूर्व के लंबित आवेदन से संबंधित परमिट लेने के लिए इच्छुक नहीं है।

यदि आवेदक उक्त आशय का शपथ–पत्र समर्पित नहीं करते हैं एवं प्राधिकार के समक्ष एक ही वाहन के परमिट हेतु दो आवेदन विचार हेतु पाया जाता है तो प्राधिकार

आवेदक के द्वारा दाखिल अंतिम आवेदन पर ही विचार करेगी एवं ऐसी स्थिति में आवेदक के द्वारा दाखिल पूर्व के आवेदन स्वतः रद् समझे जाऐंगे।

- आवेदन के साथ संलग्न किये जानेवाले सभी कागजात आवेदक द्वारा स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए। आवेदक एवं अपने प्राधिकृति प्रतिनिधि के माध्यम से समर्पित आवेदन हीं कार्यालय में स्वीकार किये जाऐंगे।
- आवेदन की सभी कंडिका पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। साथ हीं वाहन का सभी मान्य कागजात याथा– निबंधन प्रमाण–पत्र, अद्यतन कर प्रतीक, बीमा, प्रदूषण, विण्ड स्कीन, वाहन का फोटो, श्रम निबंधन प्रमाण पत्र, शपथ--पत्र, मार्गीय नक्शा, प्रस्तावित समय–सारणी, (तीन प्रति में), आवासीय/कारोबार के पता से संबंधित साक्ष्य, मोबाईल नं0 एवं ईमेल आई0डी0 आदि निश्चित रूप से संलग्न होना चाहिए।
- आवेदक के वाहन का परिचालन 250 कि0मी0 से होने की स्थिति में अतिरिक्त चालक रखने की व्यवस्था का उल्लेख आवेदन के साथ समर्पित शपथ–पत्र में अवश्य होना चाहिए।
- किसी भी प्रकार के परमिट से संबंधित आवेदन प्राप्ति काउंटर से प्रत्येक कार्य दिवस में 3:00 बजे ~~अपराह्न~~ से 5:00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किये जायेंगे।
- परमिट का निर्गमन एवं आवेदन के संबंध में जानकारी/पूछताछ प्रत्येक सप्ताह के सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को 3:00 बजे अपराह्न से 5:00 बजे अपराह्न के बीच कार्य दिवस में काउंटर से प्राप्त किये जायेंगे।

कार्यावली संख्या–5 मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 88 (12) के तहत नेशनल परमिट निर्गत करने हेतु शक्ति प्रत्यायोजित करने संबंधी मामले पर विचार।

निर्णय– बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के नियम 69 के तहत संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा को मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 (12) के तहत नेशनल परमिट निर्गत करने हेतु शक्ति प्रत्यायोजित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

कार्यावली संख्या–6 सवारी बस के परमिट में निम्नांकित शर्त्त को जोड़ने पर विचार।

शर्त्त – (मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 72 (2)XX – परमिटधारी किसी ऐसे विनिर्दिष्ट बस अड़ा या आश्रय स्थल जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संधारित हो का उपयोग किया जायेगा, और ऐसा उपयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट किराया या फीस का भुगतान किया जायेगा)

निर्णय – स्टेज कैरेज सवारी बस परमिट को निर्गत किये जा रहे परमिट में नये शर्त के तौर पर मोटरवाहन अधिनियम अधिनिमय, 1988 की धारा–72 (2)XX- परमिटधारी किसी ऐसे विनिर्दिष्ट बस अड़ा या आश्रय स्थल जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संधारित हो का उपयोग किया जायेगा, और ऐसा उपयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट किराया या फीस का भुगतान किया जायेगा, को जोड़ने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

कार्यावली संख्या–7 एजेन्ट लाईसेन्स की स्वीकृति हेतु प्राप्त कुल–5 आवेदनों के निष्पादन संबंधी मामलों पर विचार।

निर्णय– सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा ऐजेन्ट लाईसेंस संबंधी प्राप्त कुल– 05 आवेदनों को प्राधिकार के समक्ष रखते हुए बताया कि आवेदन के साथ संलग्न चरित्र प्रमाण–पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन के कई कंडिकाओं को पूर्ण रूप से नहीं भरा गया हैं। आवेदन के साथ संलग्न कागजात पर आवेदक का हस्ताक्षर नहीं है।

इस प्रकार सचिव, द्वारा आवेदन के संबंध में दिये गये जानकारी के पश्चात ऐजेन्ट लाईसेंस हेतु प्राप्त सभी पॉचों आवेदन को नियमानुसार जॉच कर प्राधिकार की आगामी बैठक में विचार हेतु रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

कार्यावली संख्या–8 श्री बलदेव राम, गैर सरकारी सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा से प्राप्त आवेदन पर विचार।

श्री बलदेव राम, गैर सरकारी सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा द्वारा दिनांक–07.12.2015 को समर्पित आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में सचिव, क्षे0परि0प्रा0 ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि दिनांक–31.08.2015 को कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट निर्गत करने संबंधी प्राधिकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के पश्चात दिनांक–15.12.2015 तक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हेतु कुल–898 आवेदन प्राप्त हुए जिसके आलोक में कुल–870 आवेदन निष्पादित कर दिये गये हैं। शेष लंबित कुल–28 आवेदन कागजातों की कमी के कारण निष्पादन हेतु प्रक्रियाधीन है।

सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, द्वारा आवेदनों के निष्पादन के संबंध में दिये गये जानकारी से गैर सरकारी सदस्य श्री बलदेव राम ने प्रसन्नता व्यक्त की।

कार्यावली संख्या–9 परमिट की शर्त्त कंडिका–05 एवं 07 के अनुपालन के संबंध में विचार विमर्श।

सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा बताया गया कि स्टेज कैरेज परमिट हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों के निष्पादन के क्रम में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि परमिटधारी परमिट प्रत्यर्पण एवं परमिट रहते हुए नये आवेदन समर्पित करने के समय अपने पूर्व के परमिट के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि, उनका वर्तमान परमिट अलाभप्रद हो गया है। परमिटधारी द्वारा परमिट के अलाभप्रद होने के संबंध में कोई साक्ष्य समर्पित नहीं किया जाता है।

इस संबंध में सचिव ने यह भी बताया कि स्टेज कैरेज के तहत निर्गत परमिट की शर्त कंडिका–5 के अनुसार परमिटधारी को सेवा परिचालन संबंधी मासिक विवरणी प्रत्येक माह के 5वीं तारिख को कार्यालय में दाखिल करना अनिवार्य है। जिसका अनुपालन परमिटधारियों द्वारा नहीं किया जाता है। जो कि परमिट के शर्त का उलंधन है।

निर्णय– सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परमिट की शर्त कंडिका–5 के अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में सूचना प्रकाशित किया जाय। अनुपालन न होने पर परमिट निलंबन/रद्द करने की कार्रवाई नियमानुसार की जाये।

(2) परमिट की शर्त कंडिका–7 की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि परमिटधारियों को शिकायत पुस्तिका का प्रारूप दिया गया है अथवा इसकी जॉच कर ली जाय। यदि ऐसा कोई विहित प्रारूप परमिटधारी को कार्यालय द्वारा नहीं दिया गया हो

तो, आयुक्त–सह–अध्यक्ष से शिकायत पुस्तिका का प्रारूप अनुमोदित कराते हुए अनुमोदित प्रारूप को अखबार में प्रकाशित कराने की तिथि से एक माह के पश्चात सभी परमिटधारियों को परमिट की शर्त कंडिका–7 का अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधी नोटिस निर्गत करने की कार्रवाई की जाय। अनुपालन न होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाये।

कार्यावली संख्या–10 स्टेज कैरेज परमिट हेतु एक ही मार्ग पर बार–बार समय–सारणी में बदलाव कर नये स्थायी परमिट हेतु दाखिल आवेदनों के निष्पादन के संबंध में नीति बनाने पर विचार।

सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा प्राधिकार को बताया गया कि स्टेज कैरेज परमिट की अवधि पॉच वर्ष के लिए निर्धारित होती है। परन्तु आवेदनों के निष्पादन के क्रम में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि परमिट की मान्य अवधि के बीच ही जिस मार्ग पर परमिट है उसी मार्ग पर समय–सारणी में बदलाव के लिए कार्यालय में नये स्थायी परमिट हेतु आवेदन समर्पित करते हैं। परिचालित परमिट संबंधी मार्ग पर ही नये आवेदन दाखिल करने के संबंध में आवेदक द्वारा कोई औचित्य व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इस प्रकार परमिटधारी द्वारा बार–बार एक हीं मार्ग पर समय–सारणी परिवर्तित का परमिट प्राप्त करने से जहॉ एक ओर आम यात्रियों मार्ग पर परिचालित बसों के समय–सारणी की सही जानकारी नहीं हो पाती है। वहीं दूसरी ओर प्राधिकार को इस प्रकार एक हीं वाहन को एक ही मार्ग पर बार–बार स्थायी परमिट परमिट निर्गत करने की काफी कठिनाई होती है। अतः इस पर नीतिगत निर्णय की आवश्यकता है।

निर्णय :– प्राधिकार द्वारा इस स्थिति पर सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की चिंता से सहमति व्यक्त की गई। स्थायी परमिट का उद्येश्य यही है कि पाँच वर्षो तक निर्गत परमिट मान्य रहे व उसकी समय–सारणी की जानकारी आम यात्रियों को रहे। इसके अतिरिक्त अन्य वाहन स्वामी भी इन स्थायी परमिट के आधार पर नये परमिट प्राप्त करते है। ऐसी परिस्थिति में बार–बार समय–सारणी में बदलाव से जहाँ एक ओर आम यात्रियों को परेशानी होगी। वही दूसरी ओर स्थायी परमिट देने का उद्येश्य ही समाप्त हो जायेगा तथा अनावश्यक अन्य वाहन स्वामियों के बीच Unhealthy Compitition होगा जो कि किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है।

अतः इस संबंध में प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक स्थायी परमिट रहते हुए एक ही मार्ग पर बार–बार समय सारणी परिवर्तित करने की नियत से स्टेज कैरेज सवारी बस के परमिट संबंधी आवेदनों को अस्वीकृत किया जाये जब तक कि पूर्व निर्गत परमिट की मान्य अवधि शेष है। परन्तु यदि नये आवेदन में पूर्व निर्गत परमिट से उसी मार्ग पर यदि 50% से अधिक मार्ग परिवर्तित किया जाता है तो उस आवेदन पर नियमानुसार स्वीकृति की कारवाई हो।

11. अन्यान्य मामलों पर विचार – सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा बताया गया कि स्टेज कैरेज परमिट हेतु आवेदकों द्वारा एक ही मार्ग पर पूर्व के परमिटधारी के समय–सारणी के एक से दो मिनट के अंतराल पर नये आवेदन दाखिल कर दिया जाता है। जिस कारण पूर्व के परमिटधारी द्वारा समय–सारणी में टकराव की शिकायत/आपत्ति दर्ज करायी जाती है एवं विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न होती है।

निर्णय :– क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा इस संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक मार्ग पर नये आवेदन के प्रारंभ व अन्य विन्दुओं से पूर्व निर्गत परमिटो के बीच कम से कम 05 मिनट के अंतराल के साथ नया स्टेज कैरेज स्थायी सवारी बस परमिट निर्गत किया जाय।

इस संबंध में सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को निदेश दिया गया कि प्राधिकार से निर्गत सभी स्टेज कैरेज सवारी बस परमिटों को समय–सारणी के साथ दरभंगा जिला की बेबसाईट पर आर0टी0ए0 के लिंक पर प्रकाशित कराने की कार्रवाई की जाय।

(2) गैर सरकारी सदस्य श्री बलदेव राम द्वारा बताया गया कि वाहन स्वामियों द्वारा परिवहन विभाग, बिहार, पटना सवारी वाहनों के लिए निर्धारित भाड़े से अधिक भाड़ा लिया जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित भाड़े की जानकारी नहीं रहने के कारण इससे काफी कठिनाई होती है।

निर्णय– गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्राधिकार को भाड़े के संबंध दी गई जानकारी के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकार अन्तर्गत सभी जिला पदाधिकारियों को इस आशय का पत्र आयुक्त –सह– अध्यक्ष की ओर से दिया जाय कि वे अपने जिला अन्तर्गत सभी आधिसूचित बस/टैक्सी पड़ाव एवं सार्वजनिक स्थलों पर परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित भाड़े को सुगोचर ढ़ंग से प्रदर्शित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

23/1/2016 श्री बलदेव राम, गैर सरकारी सदस्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ,दरभंगा।	23/1/2016 संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।	आयुक्त–सह–अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

ज्ञापांक–15–3/2016– 06 मु0/परि0, **दिनांक:–** 23·01·2016

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– बलदेव राम, गैर सरकारी सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय प्रबंधक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

23/1/2016

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,दरभंगा।